निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 55 वर्ष 2018-19

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल, उत्तरकाशी** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल, उत्तरकाशी के माह 09/2017 से 09/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री आर०एन०यादव, श्री राजेश डोभाल सहायक लेखा परीक्षा अधिकारियों एवं श्री हरिओम,सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी (तदर्थ) द्वारा दिनांक 01/10/2018 से 04/10/2018 तक श्री सी.एस.बोहरा,वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1.परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री पी0के0 श्रीवास्तव, श्री सुनील कुमार सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियो तथा श्री गौरव रावत लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 18.09.2017 से 22.09.2017 तक में श्री जगमोहन सिंह रावत वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 09/2016 से 08/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 09/2017से 09/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

(i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः** जनपद उत्तरकाशी के अंतर्गत - सिंचाई खण्ड उत्तरकाशी, अवस्थापना खण्ड उत्तरकाशी एवं सिंचाई खण्ड, पुरोला ।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों मे बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निमन्वत हैं।

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+) `	बचत (+) `
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `		
2015-16	-	-	96.04	96.04	-	-	-	-
2016-17	-	-	87.97	87.97	-	-	-	-
2017-18	-	-	102.81	102.81	-	-	-	-
2018-19 (up to 09/2018)	-	-	83.01	40.86	-	-	-	-

(ब) केंद्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैं।

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय `	आधिक्य `	बचत `
2015-16	NIL	-	NIL	NIL		
2016-17	NIL	-	NIL	NIL		
2017-18	NIL	-	NIL	NIL		
2018-19 (up to 09/2018)	NIL	-	NIL	NIL		

(iii)इकाई को बजट आवंटन उत्तराखंड शासन द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई **'सी'** श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

(iv)**लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में **कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल, उत्तरकाशी**को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियो के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल, उत्तरकाशी**की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन .... के आधार पर किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा **13**, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-2(ब)

प्रस्तर:-1 विगत छ: वर्षों से कार्यों का अपूर्ण रहना।

कार्यालय अधीक्षण अभियंता, सिंचाई कार्य मण्डल, उत्तरकाशी के अभिलेखों की जांच मे पाया गया कि वर्ष 2011-12 से मण्डल के अंतर्गत अधिशासी अभियंता, सिंचाई खंड उत्तरकाशी एवं पुरोला के अधीन (सलग्नक के अनुसार) छ: कार्य की, जिनकी कुल स्वीकृतराशि `161.34 लाख हैं, अभी तक अपूर्ण हैं जो **निम्नवत हैं-**

सिचाई कार्य मण्डल के अंतर्गत वर्ष 2011-12 से अपूर्ण कार्यों का विवरण

क0सं0	जनपद/ योजना का नाम	विकास खण्ड	वित्तीय स्वीकृति का सन्दर्भ	मूल योजना का प्राविधान				30.09.2018 तक प्रगति ` लाख में			
				वित्तीय	भौतिक	सिंचन क्षमता	सिंचन क्षमता पुर्नस्थापना	वित्तीय	भौतिक	सिंचन क्षमता	सिंचन क्षमता पुर्नस्थापना
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	खुरमोला नहर निर्माण	चिन्याली	2011-12	42.48	2.50	28.50	0.00	42.42	2.45	28.50	0.00
2	ग्राम खालसी नहर निर्माण	चिन्याली	2011-12	31.34	1.40	21.00	0.00	14.00	1.27	21.00	0.00
3	पाँच पर्वतीय नहरों के निर्माण की योजना	नौगाँव	2011-12	49.48	3.90	19.90	0.00	23.49	3.72	19.05	0.00
4	चन्देली नहर के छीजोंतोकमेंफिडरगूल एवं करडापुजेली नहर के उपलीछानीफिडरगूल का जीर्णोद्वार कार्य की योजना।	पुरोला	2011-12	19.130	3.300	0.000	0.000	11.620	3.270	0.000	0.000
5	नौगांव विकास खण्ड में बडकोट एवं कुथनौर नहरों की विस्तारीकरण की योजना।	यमुनोत्री	2011-12	8.910	2.500	0.000	0.000	3.150	2.100	0.000	0.000
6	नौगावं विकास खण्ड में दियाडी के दियाडी खडड में बाढ सुरक्षा कार्य।	नौगाँव	2011-12	10	0.14	0	0	5.64	0.14	0	0

इस संबंध मे अधीक्षण अभियंता कार्यालय द्वारा कार्य को पूर्ण करने हेतु कोई दिशा-निर्देश भी नही दिये गए।

संप्रेक्षा द्वारा पूछे जाने पर कार्यालय द्वारा अवगत कराया कि खंडीय कार्यालयों से सूचना प्राप्त कर तथ्यों से अवगत करा दिया जाएगा।

अत: वर्ष 2011-12 से उक्त कार्यों के अपूर्ण रहने का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता हैं।

STAN

प्रस्तर–1 नहर/लघुडाल नहर सिंचाई योजनाओं को विगत 25 वर्षो से परित्याग योग्य घोषित होने के उपरान्त भी आतिथि तक योजनाओं का परित्याग नही किया जाना।

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता सिंचाई कार्य मण्डल, उत्तरकाशी के अभिलेखो की नमूना **जांच** (माह 10/2018) में पाया गया कि सिंचाई कार्य मण्डल, उत्तरकाशी के अन्तर्गत सिंचाई खण्ड उत्तरकाशी एवं सिंचाई खण्ड, पुरोला के तहत 10 नहर/लघुडाल नहर सिंचाई योजना वर्ष 1987–88 से 2001–02 के मध्य विभिन्न कारण से विभाग द्वारा परित्याग योग्य घोषित किया गया परन्तु आतिथि तक (10/2018 तक) योजनाओं का परित्याग नही किया गया था, जिनका विवरण निम्न प्रकार है :–

क्रम सं0	विकास खण्ड का नाम	खण्ड का नाम	नहर/लघुडाल नहर/नलकूप का नाम	निर्माण वर्ष	परित्याग योग्य होने का वर्ष	सी0सी0ए0 (है0)	नहर की लम्बाई (किमी0)
1.	भटवाड़ी	सिंचाई खण्ड उत्तरकाशी	क्यार्क	1988–89	2000–01	75.00	1.900
2.	भटवाड़ी	सिंचाई खण्ड उत्तरकाशी	भंकोली	1988–89	1996–97	64.00	5.000
3.	मोरी	सिंचाई खण्ड पुरोला	चिंवा	1982–83	2001–02	8.00	0.780
4.	मोरी	सिंचाई खण्ड पुरोला	बलावट	1988–89	1989	23.00	1.600
5.	मोरी	सिंचाई खण्ड पुरोला	गोकूल	1982–83	1992	48.00	2.490
6.	मोरी	सिंचाई खण्ड पुरोला	माकुडीडगोली	1987–88	1992	23.00	2.600
7.	नौगांव	सिंचाई खण्ड पुरोला	चिलाड़ खेत	1994–95	1999	4.00	1.000
8.	नौगांव	सिंचाई खण्ड पुरोला	ओडगांव	1984–85	1991	14.00	1.050
9.	नौगांव	सिंचाई खण्ड पुरोला	खनाटी	1987–88	1991	41.00	4.300
10.	नौगांव	सिंचाई खण्ड पुरोला	गंगटाडी	1981–82	1987–88	42.00	4.200
		योग				**342.00**	**24.920**

उक्त के सन्दर्भ में इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा तथ्यों की पुष्टि करतें हुये अवगत कराया गया कि सिंचाई योजनाओं के परित्याग किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। खण्ड के उत्तर से स्वयं लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि होती है कि सिंचाई योजनाओं को परित्याग योग्य घोषित होने के 25 वर्षो उपरान्त भी लेखापरीक्षा तिथि (माह 10/2018) तक योजनाओं का परित्याग नही किया जा सका था और इस सन्दर्भ **में** इकाई द्वारा कोई ठोस प्रयास भी नही किये गये थे।

अतः नहर/लघुडाल नहर सिंचाई योजनाओं को विगत 25 वर्षो से परित्याग योग्य घोषित होने के उपरान्त भी आतिथि तक (माह 10/2018) योजनाओं का परित्याग नही किये जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग– III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

क्रम सं0	निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग– II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग– II 'ब' प्रस्तर संख्या	स्टैन
1.	40/2017-18	----	1	1

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या इकाई द्वारा उपलब्ध नही करायी गयी।

भाग– IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

––– शून्य –––

भाग–V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांग गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल, उत्तरकाशी तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये :

(i) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या

(ii) विगत नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी प्रस्तरों की अनुपालन आख्या

2. सतत् अनियमितताएं :

(i) शून्य

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया ।

क्रम सं0	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**
(1)	श्री प्रेम सिंह पंवार	अधीक्षण अभियन्ता	(24.06.2017 से 21.02.2018 तक)
(2)	श्री पूरनचन्द	अधीक्षण अभियन्ता	(22.10.2018 से 16.07.2018 तक)
(3)	श्री प्रशान्त विश्नोई	अधीक्षण अभियन्ता	(17.07.2018 से अब तक)

4. विगत सम्प्रेक्षा से अब तक निम्नलिखित खण्डीय लेखाधिकारी खण्ड से संबंद्ध रहे।

1. NIL

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल, उत्तरकाशी को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार/ आर्थिक क्षेत्र–।।, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)–उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून को प्रेषित कर दी जाये।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

आर्थिक क्षेत्र –।।